सेवा का अधिकार

– मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड

प्राक्कथन

देश में निवास करने वाले नागरिक ही देश में ''सर्वोपरि'' होते है एवं राजकीय विभागों का दायित्व इन नागारिकों तक निर्धारित सेवाओं को पहुॅचाया जाना है। इसी उद्देश्य से मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड के पक्ष से नागरिक–घोषणा पत्र को सामाजिक पटल पर प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है।

नागरिक घोषणा पत्र हमारे उन प्रयासों, कार्यो तथा लक्ष्यों की अभिव्यक्ति है, जिन्हें प्राप्त किये जाने का स्वपन भारतीय सविंधान के निर्माताओं ने उदीयमान राष्ट्र के लिए देखा था। उस अपेक्षा के अनुरूप ही हम विभिन्न मात्स्यिकी विकास की योजनाओं को नागरिको तक पहुॅचाये जाने, जिसमें उनके मूल, जाति, धर्म, लिंग तथा व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर कोई विभेद नहीं हो तथा प्रत्येक स्तर पर निष्पक्षता, उत्कृष्टता एवं पारदर्शिता स्वतः परिलक्षित हो, हेतु हम प्रतिबद्व है।

हम यह भी विश्वास दिलाते है कि मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड निर्धारित कार्यो को स्थापित मानकों व मापदण्डों से पूर्ण करते हुए उनमें गुणात्मक वृद्वि करने का सत्त प्रयास करते रहेगें। नागरिक घोषणा पत्र का क्रियान्वयन समाज के प्रबुद्व वर्ग के सक्रिय सहयोग तथा त्वरित फीड बैक हेतु नवीन मंच है एवं नागरिकों को बेहतर सेवायें प्राप्त हो, प्रदत्त करता है जिसकी सफलता हेतु नागरिको से सक्रिय सहयोग तथा त्वरित फीड बैक (अमूल्य सुझाव/परामर्श) अपेक्षित है। इन्ही आशाओं के साथ हम अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कृत संकल्प है।

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
आई0ए0एस0
सचिव मत्स्य
उत्तराखण्ड शासन।

नागरिक घोषणा

उत्तराखण्ड राज्य में मात्स्यिकी विकास हेतु निजी क्षेत्र में निष्प्रयोज्य सामान्य से गहरी एवं दलदल वाली भूमि को मत्स्य पालन हेतु विकसित कराना, मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर आंवटित ग्राम समाज के तालबों को अधिक उपयोगी बनाना, मत्स्य पालन को रोजगार के रूप में स्थापित कराना, कार्यरत मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज एवं अन्य इनपुट उपलब्ध कराया जाना, जलाशयों में केज कल्चर द्वारा अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन करना, जनमानस हेतु प्रोटीनयुक्त मछली की उपलब्धता हेतु मत्स्य उत्पादन में वृद्वि दर्ज कराना, प्राकृतिक जलराशियों में मूल प्रजातियों सहित विलुप्त प्रायः मत्स्य सम्पदा का संरक्षण व संवर्द्वन, राज्य में मात्स्यिकी कार्यो हेतु नियम तैयार कराना एवं अनुश्रवण कराना, अवैध शिकारमाही की रोकथाम, चिन्हित जलक्षेत्रों में जनसहभागिता से पर्यटन को बढ़ावा देने वाले एंग्लिंग कार्यक्रम को बढ़ावा देना, मात्स्यिकी क्षेत्र में होने वाले अभिनव कार्यो हेतु राज्य सरकार को संस्तुति/परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड गठित किया गया है। मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनसामान्य को प्रदान की जानी वाली सेवाओं में सुधार और समुन्नति के लिए यह नागरिक घोषणा पत्र तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

दृष्टि

राज्य में मत्स्य पालन को निजी क्षेत्र में व्यवसायिक स्तर पर विस्तारित करते हुए तथा प्राकृतिक जलराशियों में जैविक संतुलन को बनाये रखते हुए राज्य के मत्स्य उत्पादन को बढ़ाया जाना जिससे कि राज्य के नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके एवं बेरोजगारों को इस व्यवसाय से रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

उद्देश्य

- मत्स्य पालकों को सुगमतापूर्वक उत्तम गुणवत्ता का मत्स्य बीज एवं आहार की उपलब्धता।
- निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देते हुए रोजगार सृजित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्वि।
- प्राकृतिक जलराशियों में मात्स्यिकी संरक्षण व संवर्द्वन तथा ट्राउट फार्मिंग को वृहद्व स्तर पर विस्तारित किया जाना।
- वृहद्व जलराशियों में केज तकनीक को स्थापित कर मत्स्य उत्पादन करना।
- पूरक आहार आधारित व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना।
- जनसहभागिता से एंग्लिंग कार्यक्रम के द्वारा एंग्लिंग टूरिज्म को बढ़ावा देना।
- मत्स्य पालन का आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करते हुए कौशल विकास करना।
- प्रदेश के मैदानी भाग में पात्र निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को ग्राम समाज के तालाबों को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर आंवटित कराना तथा अन्य वर्गो हेतु कल्याणकारी योजना का संचालन।

सेवा का अधिकार

हमारें मुख्य कार्य तथा सेवायें

मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड के कार्य संचालन के प्रमुख स्रोत उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत नियमावलियॉ, विनियम, विभाग के अधिनियम, नियमावली, समय–समय पर भारत सरकार राज्य एवं सरकार द्वारा निर्गत द्वारा निर्गत निर्देश, वित्तीय हस्तपुस्तिका व सम्बन्धित अन्य शासनादेश है।

(1) मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जाते है –

- तालाब निर्माण/सुधार के प्रस्ताव की स्वीकृति।
- तालाब निर्माण/सुधार के कार्यो के पश्चात इनपुट की उपलब्धता।
- मत्स्य बीज वितरण।
- मत्स्य आहार वितरण।
- मत्स्य पालक कार्ड।
- मत्स्य पालन हेतु ग्राम समाज के तालाब मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर आंवटन के उपरान्त इनपुट/सहायता।
- ट्राउट एवं महाशीर जोन की नदियों में मात्स्यिकी संरक्षण, संवर्द्वन एवं जनसहभागिता से पर्यटन को बढ़ावा देने वाले एंग्लिंग कार्यक्रम हेतु बीट आंवटन।
- जनसहभागिता से पर्यटन को बढ़ावा देने वाले एंग्लिंग कार्यक्रम अन्तर्गत एंग्लिंग लाईसेन्स निर्गत करना (ट्राउट/महाशीर)।

(2) अन्य कार्य –

- मात्स्यिकी विकास हेतु अन्य कोई विशिष्ट प्रकरण जो राज्य सरकार/शासन द्वारा मत्स्य विभाग को संदर्भित किया जाय।

सेवाओं/कार्यो का विस्तृत विवरण

1– तालाब निर्माण/सुधार के प्रस्ताव की स्वीकृति।

मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जिला सैक्टर, राज्य सैक्टर, केन्द्रपोषित योजनाओं एवं अन्य कार्यक्रमों, ताथा विभिन्न योजनाओं के साथ केन्द्राभिसकरण/युगिपतीकरण के अन्तर्गत तालाब निर्माण एवं सुधार के कार्य कराये जाते है, जिनमें मुख्य योजनाओं का विवरण अधोलिखित है –

क्र0 सं0	योजना का नाम	सम्बन्धित जनपद
	(अ) राज्य सैक्टर	
1–	पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना	समस्त पर्वतीय जनपद (11)
2–	पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निर्माण योजना	समस्त पर्वतीय जनपद (11)
3–	अनुसूचित जाति उप योजना (एस0सी0एस0पी0)	समस्त जनपद (13)
4–	जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0)	जनपद देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधमसिंहनगर
	(ब) केन्द्रपोषित योजनायें	
5–	मीठा जल मात्स्यिकी (नील क्रांति)	जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर
6–	शीतजल मात्स्यिकी विकास (नील क्रांति)	समस्त पर्वतीय जनपद (11)

- तालाब निर्माण/सुधार हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना प्रारम्भिक प्रक्रिया।
- आवेदक के आवेदन पत्र के क्रम में जनपदीय फील्ड कार्मिक द्वारा आवेदक के साथ तालाब निर्माण/सुधार हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करना, मात्स्यिकी विकास हेतु स्थल उपयुक्त होने पर फील्ड कार्मिक द्वारा आवेदक से आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर प्रोजेक्ट रिर्पोट तैयार कर जनपदीय अधिकारी को रिर्पोट प्रस्तुत करना, जो मानकोंनुरूप (पानी की उपलब्धता, भूमि का स्वामित्व एवं प्रकार, जलधारण क्षमता, आदि) उपयुक्त पाये जाने पर आवेदक का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है।
- प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त आवेदक द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार तालाब निर्माण/सुधार के कार्य करना, क्षेत्रीय मत्स्य प्रभारी के निरीक्षणोंपरान्त सही पाये जाने पर अनुदान की धनराशि सम्बन्धित आवेदक को डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है (विशिष्ट परिस्थितयों को छोड़कर)।

2– तालाब निर्माण/सुधार के कार्यो के पश्चात इनपुट की उपलब्धता।

मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के सहयोग से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित तालाब/सुधार किये गये लाभार्थियों के तालाबों को इनपुट अन्तर्गत मत्स्य बीज एवं मत्स्य आहार उपलब्ध कराया जाता है, जिनमें मुख्य योजनाओं का विवरण अधोलिखित है –

क्र0 सं0	योजना का नाम	सम्बन्धित जनपद
	(अ) राज्य सैक्टर	
1–	पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना	समस्त पर्वतीय जनपद (11)
2–	पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निर्माण योजना	समस्त पर्वतीय जनपद (11)
3–	अनुसूचित जाति उप योजना (एस0सी0एस0पी0)	समस्त जनपद (13)
4–	जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0)	जनपद देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधमसिंहनगर
	(ब) केन्द्रपोषित योजनायें	
5–	मीठा जल मात्स्यिकी (नील क्रांति)	जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर
6–	शीतजल मात्स्यिकी विकास (नील क्रांति)	समस्त पर्वतीय जनपद (11)

उक्त के अतिरिक्त राज्य सैक्टर की एक योजना के माध्यम से पूर्व से लाभान्वित लाभार्थियों को इनपुट अन्तर्गत मत्स्य आहार, जाल, हैण्डनेंट, मिनीकीट (आवश्यकतानुरूप) अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। योजना का विवरण अधोलिखित है –

क्र0 सं0	योजना का नाम	सम्बन्धित जनपद
1–	राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना	समस्त जनपद

- तालाब निर्माण/सुधार सम्बन्धी योजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों को प्रथम वर्षीय इनपुट अन्तर्गत मत्स्य बीज एवं मत्स्य आहार उपलब्ध कराना, जिस हेतु आवेदक को कोई धनराशि देय नहीं करनी होती है।
- पूर्व से कार्य कर रहे प्रगतिशील मत्स्य पालकों को योजनान्तर्गत अनुदानित दरों पर सामग्री की उपलब्धता हेतु अपना प्रस्ताव जनपदीय अधिकारी को उपलब्ध कराना। इनपुट योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्रियों हेतु लागत के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि विभाग द्वारा अनुदान के रूप में एवं शेष 50 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है।

3— मत्स्य बीज वितरण।

उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नियंत्रणाधीन मत्स्य प्रक्षेत्रों/हैचरियों में मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य किया जाता है। मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा इन प्रक्षेत्रों/हैचरियों से राज्य के मत्स्य पालकों, जलाशयों के ठेकेदार एवं निकटवर्ती राज्यों के मत्स्य पालकों को निर्धारित दरों पर मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जाता है। किसी स्थिति में राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्रों/हैचरियों पर मत्स्य बीज की उपलब्धता न होने पर अन्य स्रोतों से मत्स्य बीज आयातीत कराकर मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध कराया जाता है। जनपदो के लाभार्थियों द्वारा राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्र/हैचरियों से सीधे अथवा अपने जनपदीय अधिकारी को मांग प्रस्तुत कर मत्स्य बीज की आपूर्ति की जा सकती है।

मत्स्य बीज वितरण का कार्य प्रजातियों के प्रजनन अवधि अनुरूप पृथक–पृथक समय पर किया जाता है, विवरण निम्नवत् है –

क्र0 सं0	मत्स्य प्रजाति का नाम	उपलब्धता की समय–सारिणी	प्रक्षेत्र/हैचरी	
			नाम	जनपद
1—	भारतीय मेजर कार्प (रोहू, कतला, नैन)	माह जून से अक्टूबर तक	1) हेमपुर हैचरी, काशीपुर 2) मत्स्य प्रक्षेत्र धौरा 3) मत्स्य प्रक्षेत्र बौर	उधमसिंहनगर
			1) मत्स्य प्रक्षेत्र ढकरानी	देहरादून
2—	कामन कार्प	माह मार्च से जून तक	——तदैव——	
3—	ग्रास कार्प एवं सिल्वर कार्प	माह मई से सितम्बर तक	——तदैव——	
4—	ट्राउट	माह फरवरी से अप्रैल तक	1) मत्स्य प्रक्षेत्र बैरांगना	चमोली
5—	पंगेशियस	माह मार्च से मई तक	अन्य स्रोतो से	
6—	आमूर कार्प	माह मार्च से जून तक	अन्य स्रोतो से	

4— मत्स्य आहार वितरण।

उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नियंत्रणाधीन फीड मिलों से कार्प एवं ट्राउट मत्स्य प्रजाति की मछलियों हेतु आहार तैयार कर निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराना। किसी स्थिति में राजकीय फीड मिल पर मत्स्य बीज की उपलब्धता न होने पर अन्य स्रोतों से आहार आयातीत कर भी मांगानुसार मत्स्य आहार की उपलब्ध कराना। मत्स्य आहार की

आपूर्तितलाभार्थी राजकीय फीड मिल से सीधे अथवा अपने जनपदीय अधिकारी को मांगपत्र प्रस्तुत कर, प्राप्त कर सकता है।

क्र0 सं0	आहार का नाम	उपलब्धता की समय–सारिणी	प्रक्षेत्र/हैचरी	
			नाम	जनपद
1–	कार्प मछलियों हेतु आहार	वर्ष भर (विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर)	1) फीड मिल, हेमपुर, काशीपुर	उधमसिंहनगर
2–	ट्राउट मछलियों हेतु आहार		1) फीड मिल, ट्राउट मत्स्य प्रक्षेत्र बैरांगना	चमोली

5– मत्स्य पालक कार्ड।

मत्स्य पालक का पूर्ण विवरण सहित फोटो लगा मत्स्य पालक कार्ड मत्स्य पालक को निःशुल्क उपलब्ध कराना एवं मत्स्य पालक कार्ड में मत्स्य पालन सम्बन्धी मत्स्य बीज संचय, आखेट आदि का पूर्ण विवरण अंकित करना। नये मत्स्य पालक को तालाब में मत्स्य बीज संचय से पूर्व मत्स्य पालक कार्ड उपलब्ध कराना।

6– मत्स्य पालन हेतु ग्राम समाज के तालाब मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर आंवटन के उपरान्त इनपुट/सहायता।

प्रदेश के मैदानी जनपद यथा हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं देहरादून स्थित ग्राम समाज के तालाबों को मत्स्य पालन हेतु उनतीस (29) वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराये जाने हेतु विभाग द्वारा सक्रिय सहयोग करना। पट्टे पर आंवटित तालाब को मत्स्य पालन हेतु पूर्णत उपयोगी बनाने हेतु पट्टाधारक को तकनीकी सहयोग एवं योजनाओं का लाभ देना।

7– ट्राउट एवं महाशीर जोन की नदियों में मात्स्यिकी संरक्षण, संवर्द्धन एवं जनसहभागिता से पर्यटन को बढ़ावा देने वाले एंग्लिंग कार्यक्रम हेतु बीट आंवटन।

राज्य की नदियों में स्थानीय जनसहभागिता से एंग्लिंग से मत्स्य आखेट के कार्य के साथ–साथ मात्स्यिकी संरक्षण व संवर्द्धन कार्य हेतु बीटों को चिन्हित किया गया है। एंग्लिंग परमिट निर्गत करने हेतु चिन्हित बीटों का आंवटन स्थानीय रूप से गठित महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल, समिति, आदि ग्रुपस को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आंवटित करना। आंवटित बीट में कार्यदायी संस्था द्वारा एंग्लिंग परमिट निर्गत करने के अतिरिक्त आंवटित बीट में

मत्स्य सम्पदा, संरक्षण एवं संवर्द्धन का कार्य करना। लॉटरी प्रक्रिया हेतु आवेदन की सूचना समाचार पत्रों एवं विभागीय वेबसाईट में प्रकाशित कराकर सम्पन्न की जाती है।

8– जनसहभागिता से पर्यटन को बढ़ावा देने वाले एंग्लिंग कार्यक्रम अन्तर्गत एंग्लिंग लाईसेन्स निर्गत करना (ट्राउट/महाशीर)।

नदियों में चिन्हित बीटो की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सम्बन्धित बीट में एंग्लिंग कार्य हेतु निर्धारित शुल्क प्राप्त कर निर्धारित स्रोतों से एंग्लिंग लाईसेन्स निर्गत करना।

2.1 मात्स्यिकी विकास हेतु अन्य कोई विशिष्ट प्रकरण जो राज्य सरकार/शासन द्वारा मत्स्य विभाग को संदर्भित किया जाय।

मत्स्य पालन हेतु राज्य में नियमावलियॉ तैयार किया जाना, पूर्व से गठित अधिनियम /नियमावली आदि में संशोधन, जलराशियों का सर्वेक्षण कर मात्स्यिकी स्थिति का आंकलन किया जाना, अप्रयुक्त जलराशियों का मात्स्यिकी के दृष्टिकोण से उपयोग कराया जाना, मत्स्य पालकों की समस्याओं का निरकारण, मछुवा समुदाय के कल्याणार्थ विभिन्न कार्य, नवीन मात्स्यिकी तकनीकियों को स्थापित कराना, मात्स्यिकी हेतु अभिवन/पहल, आदि कार्य किये जाते है।

सेवाओं/कार्य के मानदण्ड

मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत सेवाओं एवं निष्पादित कार्यो हेतु निम्नलिखित समय–मानक अपनाये गये है –

1) तालाब निर्माण/सुधार के प्रस्ताव हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के सापेक्ष क्षेत्रीय फील्ड कार्मिक द्वारा विषयगत स्थल का निरीक्षण करते हुए प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किये जाने हेतु जनपदीय अधिकारी को संस्तुति निर्गत किया जाना, आवेदन प्राप्त होने की तिथि से ***एक माह के अन्दर निस्तारण***

2) तालाब निर्माण/सुधार के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित जलक्षेत्र में प्रथम वर्ष में मत्स्य पालन हेतु लाभार्थी को मत्स्य बीज की आपूर्ति, सम्बन्धित प्रजाति का मत्स्य बीज उत्पादन सत्र होने की स्थिति में आपूर्ति कराते हुए ***एक माह के अन्दर निस्तारण***

तालाब निर्माण/सुधार के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लाभार्थी को मत्स्य आहार की आपूर्ति किये जाने का कार्य कराते हुए ***एक माह के अन्दर निस्तारण***

3) मत्स्य बीज की आपूर्ति हेतु कार्यरत लाभार्थियों से मांग पत्र उपलब्ध होने की तिथि से, सम्बन्धित प्रजाति का मत्स्य बीज सत्र होने की स्थिति में वितरण कराये जाने के कार्य का ***एक माह के अन्दर निस्तारण।***

नागरिकों द्वारा राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्रो/हैचरियों से सीधे मत्स्य बीज क्रय किये जाने पर ***आवेदन करते ही आपूर्ति कर निस्तारण।***

4) मत्स्य आहार की आपूर्ति हेतु कार्यरत लाभार्थियों से मांग पत्र उपलब्ध होने की तिथि से, ***एक माह के अन्दर निस्तारण***

नागरिकों द्वारा राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्रो/हैचरियों से सीधे मत्स्य आहार क्रय किये जाने पर ***आवेदन करते ही आपूर्ति कर निस्तारण।***

5) मत्स्य पालक कार्ड, जनपद में नये मत्स्य पालक चिन्हित (प्रथम बार जलक्षेत्र में मत्स्य बीज संचय के कार्य किये जाने के बाद) होने के उपरान्त नवीन मत्स्य पालक कार्ड तथा पूर्व से कार्यरत मत्स्य पालक के कार्ड नवीनीकरण हेतु आवेदन के उपरान्त ***15 दिवसों के अन्तर्गत कार्ड निर्गत कर निस्तारण***

6) मत्स्य पालन हेतु तालाब पट्टे के आंवटन के उपरान्त आवेदक के मांग पत्र की तिथि से ***एक माह के अन्तर्गत इनपुट/सहायता उपलब्ध कराकर निस्तारण***

7) नदियों में मात्स्यिकी संरक्षण, संवर्द्वन एवं दोहन हेतु लौटरी प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि से सम्बन्धित बीट में सफल कार्यदायी संस्था को एंग्लिंग परमिट जारी किये जाने हेतु अनुज्ञापत्र उपलब्ध कराकर ***एक माह के अन्तर्गत कर निस्तारण***

8) विभागीय प्रबन्धान्तर्गत झील एवं चिन्हित बीटों में आने वाले देशी/विदेशी पर्यटक/स्थानीय व्यक्ति अर्थात आवेदक को एंग्लिंग लाईसेन्स का परमिट ***आवेदन से 01 दिवस अन्तर्गत निर्गत कर निस्तारण***

(प्रतिबन्धित अवधि को छोडकर)

हमारी प्रतिबद्धता

हम प्रयास करेगें कि –

- लाभार्थीपरक योजनाओं में निष्पक्ष रूप से लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना।
- प्राकृतिक जलराशियों में संरक्षण व संवर्द्धन कर जलीय संतुलन एवं जैव विविधता बनाये रखा जाना।
- मत्स्य पालन हेतु फिंगरलिंग आकार के मत्स्य बीज की उपलब्धता एवं उच्च कोटी का मत्स्य आहार उपलब्ध कराया जाना।
- राज्य में नवीन उन्नत प्रजातियों को स्थापित कर मत्स्य पालकों की आय में वृद्वि दर्ज कराया जाना।
- नागरिको को मत्स्य पालन की अपेक्षित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- नागरिकों का प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास।
- लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित कर लाभ प्रदान किया जाना।
- विभागीय कार्य निष्पादन –
    - ⇨ ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के साथ न्यायसम्मत विधि से सम्पादन।
    - ⇨ पारदर्शिता।
    - ⇨ समयबद्व तरीके से दक्षतापूर्वक।

हमारी अपेक्षायें

नागरिको से हम निम्न अपेक्षायें करते है –

- मत्स्य पालन को पूर्ण रोजगार अथवा कृषि सम्बन्धी विधियों के साथ रोजगार हेतु अपनाये।
- प्राकृतिक जलराशियों में अवैध शिकारमाही नहीं की जाय।
- विलुप्त प्रायः मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण में विभाग को सहयोग करते हुए किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगें।
- प्रजनन काल में मछलियों का शिकार नहीं करेगें।
- शिकारमाही के दौरान प्रजनन योग्य मछली पकड़ में आने पर उसे पुनः जलस्रोत में छोड़ेंगे।
- मत्स्य पालन में न्यून्तम 70 एम0एम0 के मत्स्य बीज को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचित करेगें। अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु उच्च कोटी के मत्स्य आहार का उपयोग किया जाय।
- किसी भी समय विभाग से सम्पर्क कर तकनीकी सहायता प्राप्त की जाय।
- बिना अभिलेखीय/विधिक साक्ष्यों के अनावश्यक दोषारोपण से बचे।

शिकायते एवं निराकरण

मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड को अधिकाधिक प्रभावी व नागरिक उन्मुख बनाने के लिए मत्स्य विभाग के सभी कार्यालयों मे सूचना सुविधा पटल कार्यरत है। नागरिकों की किसी भी प्रकार की पूछताछ अथवा शिकायत हेतु सम्बन्धित जनपद के सूचना सुविधा पटल पर की जा सकती है।

निदेशालय –

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पता
1.	देहरादून	कार्यालय मत्स्य निदेशालय, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर, देहरादून।

मण्डलीय कार्यालय –

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पता
1.	पौड़ी गढवाल	कार्यालय उप निदेशक मत्स्य, देवप्रयाग रोड़, पौड़ी गढ़वाल।
2.	नैनीताल	कार्यालय उप निदेशक मत्स्य, भीमताल, नैनीताल।

जनपदीय कार्यालय –

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पता
1.	देहरादून,	कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर, देहरादून।
2.	हरिद्वार	कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, विकास भवन, रौशनाबाद, हरिद्वार।
3.	उधमसिंहनगर	कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, विकास भवन, उधमसिंहनगर।
4.	नैनीताल	कार्यालय जनपद मत्स्य प्रभारी, भीमताल, नैनीताल।
5.	अल्मोड़ा	कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, विकास भवन, अल्मोड़ा।
6.	पिथौरागढ़	कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, विकास भवन, पिथौरागढ़।
7.	बागेश्वर	कार्यालय जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन बागेश्वर।

8.	चमोली	कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, निकट पेट्रोल पम्प, गोपेश्वर, चमोली।
9.	उत्तरकाशी	कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, विकास भवन, उत्तरकाशी।
10.	रूद्रप्रयाग	कार्यालय जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, रूद्रप्रयाग।
11.	टिहरी गढ़वाल	कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, विकास भवन, नई टिहरी गढ़वाल।
12.	पौड़ी गढवाल	कार्यालय जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, 7 ई0, ब्लाक, पौड़ी गढ़वाल
13.	चम्पावत	कार्यालय जनपद मत्स्य प्रभारी, पिथौरागढ़ रोड़, छत्तार, चम्पावत।

शिकायत एवं निरकारण –

शिकायत एवं निवारण तंत्र विभाग की कार्यप्रणाली का अभिन्न अंग है। विदित है कि मात्र एक कुशल एवं प्रभावी शिकायत एवं निवारण तंत्र ही नागरिको के प्रति जबावदेही निर्धारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह विभागीय गतिविधियों को आवश्कतानुरूप संशोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया तंत्र भी है।

सेवा का अधिकार का विस्तृत ढांचा

क्र0 सं0	सर्विस / कार्य	वांछित अभिलेख	टाईमलाईन	सेवा का प्रकार		प्रथम जिम्मेदार अधिकारी	द्वितीय जिम्मेदार अधिकारी	अपीलीय अधिकारी	
				शुल्क	निःशुल्क			प्रथम	द्वितीय
1.	तालाब निर्माण / सुधार के प्रस्ताव की स्वीकृति	आवेदन पत्र, भूमि की खसरा खतौनी, आधार कार्ड, 02 पासर्पोट फोटोग्राफ, स्टाम्प पेपर पर कार्य किये जाने का शपथ पत्र, बैंक पासबुक की प्रति।	एक माह	✘	✓	क्षेत्रीय मत्स्य अधिकारी	जनपदीय मत्स्य अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी
2.	तालाब निर्माण / सुधार के कार्यो के पश्चात इनपुट की उपलब्धता	आवेदन पत्र, भूमि की खसरा खतौनी, आधार कार्ड, 02 पासर्पोट फोटोग्राफ, स्टाम्प पेपर पर कार्य किये जाने का शपथ पत्र, बैंक पासबुक की प्रति।	एक माह	✘	✓	क्षेत्रीय मत्स्य अधिकारी	जनपदीय मत्स्य अधिकारी		
3.	मत्स्य बीज वितरण	1) जनपदीय अधिकारी के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु मांग पत्र।	एक माह	✓	✘	क्षेत्रीय मत्स्य अधिकारी	जनपदीय मत्स्य अधिकारी		
		2) सीधे क्रय किये जाने पर कोई अभिलेख नहीं।	आवेदन करते ही (उपलब्धता अनुसार)	✓	✘	सम्बन्धित हैचरी प्रभारी	जनपदीय मत्स्य अधिकारी		
4.	मत्स्य आहार वितरण	1) जनपदीय अधिकारी के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु मांग पत्र।	एक माह	✓	✘	क्षेत्रीय मत्स्य अधिकारी	जनपदीय मत्स्य अधिकारी		
		2) सीधे क्रय किये जाने पर कोई अभिलेख नहीं।	आवेदन करते ही (उपलब्धता अनुसार)	✓	✘	सम्बन्धित हैचरी प्रभारी	जनपदीय मत्स्य अधिकारी		
5.	मत्स्य पालक कार्ड	——सर्वेक्षण द्वारा क्षेत्रीय मत्स्य अधिकारी द्वारा भरा जायेगा——	15 दिवस	✘	✓	क्षेत्रीय मत्स्य अधिकारी	जनपदीय मत्स्य अधिकारी		
6.	ग्राम समाज के तालाब मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर आंवटन के उपरान्त इनपुट / सहायता	आवेदन पत्र, पट्टा आंवटन सम्बन्धी प्रतियॉ, आधार कार्ड, 02 पासर्पोट फोटोग्राफ, स्टाम्प पेपर पर कार्य किये जाने का शपथ पत्र, बैंक पासबुक की प्रति।	एक माह	✘	✓	क्षेत्रीय मत्स्य अधिकारी	जनपदीय मत्स्य अधिकारी		

7.	ट्राउट एवं महाशीर जोन की नदियों में मात्स्यिकी संरक्षण, संवर्धन एवं जनसहभागिता से पर्यटन को बढ़ावा देने वाले एंग्लिग कार्यक्रम हेतु बीट आंवटन।	1. सहमति हेतु सहमति पत्र। 2. बयाने की धनराशि। 3. गत वर्ष में लाभ–हानि के खाते की प्रमाणित प्रति एवं समिति/ संस्था की अद्यतन वित्तीय स्थिति। 4. पर्यावरणीय कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा विवरण। 5. जनसहभागिता से कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा विवरण। 6. समाजिक कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा विवरण। 7. संस्था गठन के उपरान्त संस्था द्वारा किये गये संतोजषजनक कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा विवरण। 8. मत्स्य पालन में प्रशिक्षण एवं मछलियों की जानकारी के साथ–साथ, आदि का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा विवरण। 9. ₹100/– का स्टाम्प पेपर।	एक माह	✓	✘	सम्बन्धित निदेशालय कार्मिक	उप निदेशक मत्स्य (नियो0)	मण्डलीय उप निदेशक	निदेशक
8.	जनसहभागिता से पर्यटन को बढ़ावा देने वाले एंग्लिंग कार्यक्रम अन्तर्गत एंग्लिंग लाईसेन्स निर्गत करना (ट्राउट/महाशीर)।	––	01 दिन	✘	✓	क्षेत्रीय मत्स्य अधिकारी	जनपदीय मत्स्य अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी